:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी/दौ/593/2017–विरूद्ध आदेश दिनांक 21–12–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर–प्रकरण क्रमांक 302/2014–15/अपील।

1. बलराम पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
2. ब्रजेश पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
3. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
4. सुनीलकुमार पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
5. दयाशंकर पुत्र स्व0 श्री रूपनारायान ब्रा0।

सभी निवासीगण ग्राम महीदपुर,तहसील ईसागढ
जिला अशोकनगर,म0प्र0। ———निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायन ब्रा0।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायन ब्रा0।

सभी निवासीगण– मैन बाजार ईसागढ
जिला अशोकनगर,म0प्र0। ———गैरनिगरानीकर्तागण

1. श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक————निगरानीकर्तागण के लिये।
2. श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक————गैरनिगरानीकर्तागण के लिये।

(आज दिनांक 18/5/18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 302/2014–15/अपील में पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.08.2013 एवं बाद पुनः एक अन्य आवेदन दिनांक 26.10.2013 को इस आशय के प्रस्तुत किये गये थे कि ग्राम कुकरेंठा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.093 है0 भूमि मंदिर श्री गणपति जी की माफी भूमि है तथा गैरनिगरानीकर्तागण मंदिर के पुजारी है। प्रश्नाधीन मंदिर की भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है पर निगरानीकर्तागण के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रश्नाधीन भूमि से कब्जा वापिस मंदिर के पुजारी को दिलाया जावे।

विचारण न्यसायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/अ–68/2012–13 पर दर्ज किया जाकर अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2013 से प्रश्नाधीन भूमि पर खडी फसल जप्त करने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल,ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 958/तीन/2013 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 01.07.2013 को निरस्त की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डब्लू0पी0/5361/2013 प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 24.09.2013 से निरस्त की गयी। इसी अवधि के दौरान गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा उक्त पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2013 पर विचारण न्यायालय द्वार इस टीप के साथ प्रवाचक को मार्क किया गया कि प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी करें तथा पटवारी ग्राम से मौंके पर पुजारी को कब्जा दिलाकर प्रतिवेदन पेश करें। आवेदन पत्र पर ही विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी टीप के विरूद्ध निगरानीकर्तागण की ओर से अपील अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी, ईसागढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 195/2013–14/अपील माल पर दर्जे करते हुऐ आदेश दिनांक 06.06.2015 से प्रस्तुत अपील निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय को मंदिर की भूमि मुक्त कराये जाने के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी,ईसागढ द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 302/2014–15/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 21.12.2016 से अपील अस्वीकार की गयी। परिणामतः निगरानीकर्तागण के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि विचारण न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2013 एवं अन्य आवेदन दिनांक 26.10.2013 के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि ग्राम ककरेंठा की भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है0 भूमि मंदिर श्री गणपति जी की भूमि पर निगरानीकर्तागण के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण 90/अ–68/20012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 को आदेश पारित करते हुये भूमि पर खडी फसल को जप्त करने के आदेश दिये गये। जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 01.07.2013 को निरस्त कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 24.09.2013 से निरस्त कर दी गयी। इसी अनुक्रम में दिनांक 26.10.2013 को गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में

पेश किया गया,जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को बिना सुने वगेर सुनवाई किये दिनांक 26.10.2013 को ही निगरानीकर्तागण को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर से बेदखल करने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2013 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 195/20013–14/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 06.06.2015 को निरस्त कर दी गयी। द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 21.12. 2016 से निरस्त कर दी गयी। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वार पारित आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण क्रमांक 90/अ–68/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 से निगरानीकर्तागण को प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की शासकीय माफी की भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है0 पर से बेदखल किये जाने तथा खडी फसल को जप्त किये जेाने का आदेश दिया गया था, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल,ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 01.07.2013 से निरस्त कर दी गयी। माननीय राजस्व मण्डल,ग्वालियर द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा एक डब्लू0पी0/5361/2013 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गय थी, वह दिनांक 24.09.2013 से खारिज कर दी गयी। इन्ही वरिष्ठ न्यायालयो द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन कराने हेतु गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा दिनांक 06.10.2013 को एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इस टीप के साथ प्रवाचक की ओर भेजा कि प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी करें तथा पटवारी ग्राम से मौंके पर पुजारी को कब्जा दिलाकर प्रतिवेदन पेश करें। चूंकि मूल प्रकरण वरिष्ठ न्यायालय से वापिस नहीं हुआ था, इस लिये विचारण न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण क्रमांक 403/बी–121/2001213 पर दर्ज किया गया। गैरनिगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि इसी विवादित भूमि के संबंध में निगरानीकर्तागण के द्वारा एक व्यवहार वाद भी माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अशोकनगर के न्यायालय में पेश किया गया था जो प्रकरण क्रमांक 30ए/20014 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 03.04.2014 से निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 48/2014 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 16.10.2014 से निरस्त की गयी। इस प्रकार निगरानीकर्तागण को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय से राहत प्राप्त नही हुई है ओर न वह अपना पक्ष रखने में सफल हुये हैं। ऐसी स्थिति में माननीय व्यवहार न्यायालय

द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर वंधनकारी है। अतः प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि कलेक्टर,जिला अशोकनगर के समक्ष गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि ग्राम कुकरेंठा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है0 जो कि मंदिर श्री गणपति जी की भूमि है पर निगरानीकर्तागणों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है,उसे मुक्त कराया जाकर कब्जा वापिस दिलाया जावे। कलेक्टर जिला अशोकनगर ने उक्त आवेदन पत्र कार्यवाही किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को भेजा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 28.02.2013 से प्रश्नाधीन भूमि पर खडी फसल को जप्त कर सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28. 02.2013 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागणों के द्वारा एक निगरानी इस न्यायालय (राजस्व मण्डल) में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 958/तीन/2013 पर पंजीवद्ध की जाकर आदेश दिनांक 01.07.2013 से निरस्त कर दी गयी। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2013 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चाचिका प्रस्तुत की गयी जो डब्लू0पी0/5361/2013 पर दर्ज हुई और आदेश दिनांक 24.09.2013 से निरस्त की गयी। इसी अवधि में गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2013 के अनुक्रम में एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण क्रमांक 90/अ–68/2012–13 वरिष्ठ न्यायालय से प्राप्त न होने के कारण नया प्रकरण क्रमांक 403/बी–121/2012–13 पंजीवद्ध किया जाकर कार्यवाही आरंभ की गयी। माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण का अंतिम निराकरण होने के बाद पुनः एक आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2013 को गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा विचारण न्यायालय में पेश किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा निगरानीकर्तागणों से वापिस दिलाये जाने की याचना की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा इसी आवेदन पत्र पर ही दिनांक 26.10.2013 को प्रवाचक को मार्क किया गया जिसमें प्रकरण दर्ज करने इश्तहार जारी करने तथा पटवारी ग्राम मौके पर पुजारी को कब्जा दिलाकर प्रतिवेदन मंगाये जाने के आदेश दिये गये। विचारण न्यायालय के द्वारा इसी टीप के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के न्यायालय में अपील पेश की गयी, जो दिनांक 06.06.2015 से निरस्त कर दी गयी। निगरानीकर्तागण के द्वारा द्वितीय

अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में पेश की गयी जो आदेश दिनांक 21.12.2016 से निरस्त की जा चुकी है।

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 में प्रकरण के तथ्यों के संबंध में सुस्पष्ट एवं पूर्ण विवेचना की जा चुकी है पुनः उसी को दौहराये जाने की में आवश्यकता नहीं समझता हूं। प्रकरण के परीक्षण करने से यह तथ्य् प्रकाश में आया है कि जब निगरानीकर्तागण को राजस्व न्यायालयों से कोई राहत प्राप्त नहीं हुई तब उनके द्वारा इसी वाद भूमि के संबंध में एक व्यवहार वाद माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अशोकनगर के न्यायालय में पेश किया गया जो प्रकरण क्रमांक 30ए/2014 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 03.04.2014 से निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा0दी0 का निरस्तकर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा अपील माननीय अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी,जो प्रकरण क्रमांक 48/2014 पर पंजीवद्ध की जाकर आदेश दिनांक 16.10.2014 से निरस्त की जा चुकी है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण को माननीय व्यवहार न्यायालयों से भी कोई सहायता उपलब्ध नही हो सकी। विचारण न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को लिंगर ओन (लम्बायमान) करने के लिये निगरानीकर्तागण के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाकर कार्यवाही को रोके जाने तथा प्रकरण को वरिष्ठ न्यायालय में भेजे जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार न करते हुये निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। इस प्रकार संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई अनियमितता नही की गयी है। अतः अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 पूर्ण विवेचना के आधार पर होने के कारण उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं रह जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एस0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर